UPJL010021792026

न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र संख्या–11/2026

शमीम कुरैशी प्रति राज्य उ0प्र0 आदि

29.06.2026

पत्रावली पेश करी गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को स्थानांतरण प्रार्थना पत्र 3क पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन करा गया।

आवेदक की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 3क अंतर्गत धारा 408 दं0प्र0सं0/448 बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह सत्र परीक्षण संख्या 33/2016 का अभियुक्त है, जिसका विचारण विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) जालौन स्थान उरई के न्यायालय में हो रहा है। उक्त प्रकरण का क्रास केस सत्र परीक्षण संख्या 77/2025 अपराध संख्या 1062/2015 धारा 323, 324, 504, 506 भा0द0सं0 थाना कोंच, भी विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) जालौन स्थान उरई के न्यायालय में विचाराधीन था, जहॉ पर साक्षी संख्या–1 के रूप में आवेदक का बयान अंकित किया गया था। इसके बाद सत्र परीक्षण संख्या 77/2025 अपर जिला जज/एफ.टी.टी/(सी0ए0डब्लू), जालौन स्थान उरई के न्यायालय में स्थानान्तरित हो गया। उक्त दोनों प्रकरण क्रास केस हैं, जिनका निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर उक्त दोनों प्रकरणों को एक साथ निस्तारित किये जाने हेतु एक ही न्यायालय में स्थानान्तरित करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया तथा संबंधित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी। संबंधित न्यायालयों की आख्या पत्रावली पर कागज संख्या 12ख व 13ख के रूप में उपलब्ध है।

उपरोक्त स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में उपरोक्त दोनों प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि अपराध संख्या 1060/2015 एवं मुकदमा अपराध संख्या 1062/2015 की घटना का दिनांक समय समय एक ही उल्लिखित किया गया है। इस प्रकार दोनों प्रकरण आपस में क्रास केस है होना प्रतीत होते है और उचित एवं प्रभावी न्याय निर्णयन हेतु दोनेां प्रकरणों का निस्तारण एक ही न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.07.13 11:58:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रतीत होता है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरे विचार से स्थानांतरण प्रार्थना पत्र 3क स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक शमीम कुरैशी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या 11/2026 शमीम कुरैशी बनाम राज्य उ0प्र0 आदि स्वीकार किया जाता है। सत्र परीक्षण संख्या 33/2016 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षेत्र) जालौन स्थान उरई के न्यायालय से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु अपर जिला जज/एफ.टी.सी. (महिलाओं के विरूद्ध अपराध) जालौन स्थान उरई के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

आदेश की प्रति संबंधित न्यायालयों को सूचनार्थ एवं यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

दिनांक–29.06.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525